

## भारत की संदर्भित रजस्ट्री और साइबर सुरक्षा पहल

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

### चर्चा में क्यों?

भारत की ऑनलाइन **संदर्भित रजस्ट्री** ने 13 लाख धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोककर लगभग **5,100 करोड़ रुपए** बचाए हैं और यह भारत के साइबर सुरक्षा प्रयासों में एक केंद्रीय भूमिका नभी रहा है।

### संदर्भित रजस्ट्री क्या है?

- परिचय:** वर्ष 2024 में शुरू की गई संदर्भित रजस्ट्री को राष्ट्रीय साइबर अपराध रपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के आधार पर तैयार किया गया है और इसे **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** ने विकासित किया है।
  - इसमें लगभग **1.4 मिलियन साइबर अपराधों** का डेटा शामिल है, जो वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों से जुड़े हैं तथा यह सभी बैंकों के साथ साझा किया गया है।
  - यह डेटा राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय जाँच एवं खुफिया एजेंसियों के लिये भी उपलब्ध कराया गया है।
- उद्देश्य:** यह रजस्ट्री बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्राहक की पहचान सत्यापिता करने तथा संदर्भित खातों में वास्तविक समय में लेनदेन की नियमिती करने में सहायता करती है।
  - NCRP से प्राप्त डेटा का उपयोग करके यह धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करता है और संभावित साइबर अपराधों को चिह्नित करता है।
- संदर्भित रजस्ट्री की आवश्यकता:** भारत को साइबर धोखाधड़ी से हर महीने **1,000 करोड़ रुपए** से ज्यादा का नुकसान होता है। 80% से ज्यादा साइबर अपराध के मामले वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े होते हैं।
  - डिजिटल लेनदेन के बढ़ते पैमाने के लिये मज़बूत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और वास्तविक समय नियमिती की आवश्यकता है।
- प्रभाव:** दिसंबर 2024 तक लगभग **1,800 करोड़ रुपए** मूल्य के **6.1 लाख** से अधिक धोखाधड़ी वाले लेनदेन अवरुद्ध कर दिये गए। बैंकों ने 8.67 लाख मूल्य खाते, 7 लाख समि और 1.4 लाख डिवाइस फ्रीज कर दिये। वर्ष 2021 से अब तक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत लगभग 3,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पकड़ी गई है और संदर्भित ऑनलाइन सामग्री को बलॉक किया गया है।


### भारत में साइबर अपराध की प्रवृत्तियाँ

- बढ़ते साइबर अपराध से नुकसान:** NCRP के अनुसार, भारत में साइबर धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें वर्ष 2021 से 2024 के बीच लगभग **33,165 करोड़ रुपए** का नुकसान हुआ।
- टिप्पणी 2 और 3 साइबर अपराध हॉटस्पॉट का विवरण:** देवघर, जयपुर, नूह, मथुरा, कोलकाता, सूरत, बैंगलुरु शहरी और कोझकोड जैसे शहरसाइबर अपराध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने गए हैं, जिसमें स्पष्ट होता है कि साइबर अपराधी अब छोटे शहरों को भी तज़ी से नशीना बना रहे हैं।

# साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा, साइबर हमलों को रोकने या उनके प्रभाव को कम करने के लिये किसी भी तकनीक, उपाय या अध्यास को संदर्भित करती है।

## CYBER SECURITY ATTACKS



NCRB की "भारत में अपराध" रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, वर्ष 2021 के बाद से भारत में साइबर अपराध 24.4% बढ़ गए हैं।

## सामान्य साइबर सुरक्षा मिथक

- केवल मात्रबूत पासवर्ड ही पर्याप्त सुरक्षा है
- प्रमुख साइबर सुरक्षा जोखिम सर्वविदित है
- सभी साइबर हमले वैक्टर (vector) निहित होते हैं
- साइबर अपराधी छोटे व्यवसायों पर हमला नहीं करते हैं

## साइबर वॉर

- किसी दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, क्षति पहुँचाने या नष्ट करने के लिये किये गए डिजिटल हमले।

## CYBER THREAT ACTORS

CYBER THREAT ACTOR	MOTIVATION
NATION-STATES	GEOPOLITICAL
CYBERCRIMINALS	PROFIT
HACKTIVISTS	IDEOLOGICAL
TERRORIST GROUPS	IDEOLOGICAL VIOLENCE
THRILL-SEEKERS	SATISFACTION
INSIDER THREATS	DISCONTENT

## साइबर सुरक्षा के प्रकार

- महत्वपूर्ण बृनियादी ढाँचा सुरक्षा (रोबस्ट एक्सेस कंट्रोल)
- नेटवर्क सुरक्षा (डिफॉल्यूएफ कार्यवाल)
- एलिक्शन सुरक्षा (कोड रियू)
- व्हाइट सुरक्षा (टोकनाइजेशन)
- सूचना सुरक्षा (डेटा मासिंग)

## हाल ही में हुए प्रमुख साइबर हमले

- वामाकांडैनससवेयर अटैक (वर्ष 2017)
- कैबिनेट एनालिटिका डेटा ड्रॉप (वर्ष 2018)
- 9M+ कार्डधारकों का वित्तीय डेटा लीक, जिसमें SBI भी शामिल है (वर्ष 2022)

## विनियम एवं पहलें

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर:
  - साइबर स्पेस में राज्यों के उत्तरदायी व्यवहार को बढ़ावा देने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सरकारी विशेषज्ञों के समूह (GGE)।
  - नाटो का क्राउपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (CCDCOE)
  - साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन, 2001 (भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है)
- भारतीय स्तर पर:
  - IT अधिनियम, 2000 (धारा 43, 66, 66B, 66C, 66D)
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
  - नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, 2020
  - साइबर सुरक्षित भारत पहल
  - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (IAC)
  - कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम - भारत (CERT-In)

## साइबर सुरक्षा के लिये उठाए जाने वाले आवश्यक कदम

- नेटवर्क सुरक्षा
- मैलवेयर सुरक्षा
- डाइसिङ्ट मैनेजमेंट
- उपयोगकर्ता को शिक्षित और जागरूक करना
- सुक्षित विचास
- उपयोगकर्ता के विशेषाधिकारों का प्रबंधन करना
- सूचना जोखिम प्रबंधन व्यवस्था

## भारत की साइबर सुरक्षा पहल क्या हैं?

- संवैधानिक संदर्भ: पुलसि और लोक-व्यवस्था राज्य विषय हैं। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश साइबर अपराध सहति अन्य अपराधों को संभालते हैं, जबकि केंद्र मास्टरशेन, समन्वय और वित्तपोषण प्रदान करता है।
- नीतितंत्र:
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: इसमें फशिंग, स्मशिंग और वशिंग जैसे साइबर अपराधों को दंड (जुरमाना और कारावास) सहति शामिल किया गया है।
  - नए अपराधिक कानून: **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023**, **भारतीय न्याय संहिता, 2023** और **भारतीय साक्षय अधिनियम, 2023** आधुनिक साइबर खतरों का समाधान करते हैं।
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013: इसका उद्देश्य साइबर स्पेस की रक्षा करना, साइबर सुरक्षा क्षमता का निर्माण करना, कमज़ोरियों को कम करना और राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा को सशक्त करना है।
- संस्थागत तंत्र:
  - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): गृह मंत्रालय (MHA) के अंतर्गत स्थापित कार्यालय, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध के प्रतिसमन्वय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।
    - I4C के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर अपराध रपिएटरिंग पोर्टल (NCRP) जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रपिएट करने में सक्षम बनाता है, जिसमें महालियों और बच्चों के विद्युदध अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
    - I4C के अंतर्गत साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (CFMC) बैंकों, वित्तीय मध्यस्थी, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, IT मध्यस्थी और कानून प्रवरतन एजेंसियों (LEA) को वास्तविक समय पर कार्रवाई हेतु एक ही मंच पर लाता है।
    - **समन्वय प्लेटफार्म** पूरे देश में कानून प्रवरतन एजेंसियों के बीच साइबर अपराध डेटा, विश्लेषण, मानचित्रण और समन्वय हेतु एक वेब-आधारित पोर्टल है।
    - **हेल्पलाइन 1930** के माध्यम से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शक्तियों पर तत्काल कार्रवाई हेतुनागरकि वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रपिएटरिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS) प्लेटफॉर्म।
  - CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल): साइबर सुरक्षा घटनाओं, कमज़ोरियों और समन्वय प्रतिक्रिया से निपटने के लिये IT अधिनियम, 2000 के तहत राष्ट्रीय एजेंसी।
    - CERT-In राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC) का संचालन करता है, जो साइबर खतरों की स्थिति-जागरूकता सुनिश्चित करता है। साथ ही यह साइबर स्वच्छता केंद्र (Cyber Swachhta Kendra) चलाता है, जो मैलवेयर का पता लगाकर उसे हटाने का कार्य करता है और नागरिकों तथा संगठनों को निश्चिलक उपकरण एवं साइबर सुरक्षा संबंधी मास्टरशेन प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: **केंद्रीय अन्वेषण बयरो (CBI)** इंटरपोल के नेतृत्व वाली साइबर अपराध सहयोग पहल में भाग लेता है।
  - CBI, G-7 24/7 नेटवर्क की नोडल एजेंसी है, जो साइबर अपराध से संबंधित मामलों में डेटा संरक्षित करने के अनुरोध हेतु एक सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराती है।
- डिजिटल तंत्र
  - **.bank.in** बैंकों के लिये डोमेन: भारतीय बैंकों के लिये विशेष इंटरनेट डोमेन, जिसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी को कम करना और डिजिटल विश्वास को सशक्त करना है।
  - **ई-ज़ीरो FIR (e-Zero FIR)**: 10 लाख रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय अपराध शक्तियों को स्वचालित रूप से **प्रथम सूचना रपिएट (FIR)** में प्रविरत्ति करता है।
  - **MuleHunter.AI**: चोरी की गई धनराशिकों स्थानांतरण करने के लिये उपयोग किया जाने वाले **म्यूल अकाउंट्स** का पता लगाने के लिये RBI द्वारा विकसित AI उपकरण।
  - **ASTR**: दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा विकसित टेलीकॉम SIM सबस्क्राइबर सत्यापन के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रकिग्नीशन से लैस प्रौद्योगिकी संचालित समाधान (ASTR) का उपयोग एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न नामों से लिये गए संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करने हेतु किया जाता है।

प्रश्न: साइबर अपराध को रोकने और उसका जवाब देने के लिये भारत द्वारा स्थापित संस्थागत तथा डिजिटल तंत्रों पर चर्चा की जाये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारत में व्यक्तियों के लिये साइबर बीमा के तहत धन की हानि और अन्य लाभों के भुगतान के अलावा, निम्नलिखित में से कौन से लाभ आम तौर पर कवर किया जाते हैं? (2020)

1. किसी के कंप्यूटर तक पहुँच को बाधित करने वाले मैलवेयर के मामले में कंप्यूटर सिस्टम की बहाली की लागत।
2. एक नए कंप्यूटर की लागत अगर ऐसा साबित हो जाता है कि कुछ असामाजिक तत्त्वों ने जानबूझकर इसे नुकसान पहुँचाया है।
3. साइबर जबरन वसूली के मामले में नुकसान को कम करने के लिये एक विशेष सलाहकार को काम पर रखने की लागत।
4. यद्यकि तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव की लागत।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (A) केवल 1, 2 और 4
- (B) केवल 1, 3 और 4
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसिके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपोर्ट करना कानूनी रूप से अनविार्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाता
2. डेटा केंद्र
3. नगिमति निकाय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (A) केवल 1
- (B) केवल 1 और 2
- (C) केवल 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

/?/?/?/?/?

प्रश्न: साइबर सुरक्षा के वभिन्न घटक क्या हैं? साइबर सुरक्षा में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जाँच करें कभीरत ने व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीतिको कसि हद तक सफलतापूर्वक वकिस्ति किया है। (2022)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-s-suspect-registry-and-cybersecurity-initiatives>